संख्या– /VI-I/2006–2(16)/2007

प्रेषक,

एस0एस0वल्दिया
उपसचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय,
उत्तरांचल।

संस्कृति अनुभाग देहरादून दिनांक : 28 नवम्बर, 2007

विषयः–हेमवती नन्दन बहुगुणा विश्वविद्यालय श्रीनगर, गढ़वाल के इतिहास विभाग द्वारा आयोजित उत्तराखण्ड में इतिहास,पुरातत्व और संस्कृति विषय पर सेमिनार हेतु वित्तीय सहायता दिये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–447/स.नि.उ./4–132/2007–08 दिनांक– 16–6–2007 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त विषयक प्रकरण में रूपये 1.00 लाख (रू0 एक लाख मात्र) की धनराशि शासनादेश संख्या–429/VI-I /2006–2(19)/2007 दिनांक– 25–10–2007 के द्वारा आपके निवर्तन पर रखी गयी धनराशि से श्री राज्यपाल महोदय व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबंध के साथ स्वीकृत की जाती है कि मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय, साथ ही जिन मदों के लिए बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिकों के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय करने के पूर्व शासन/संबंधित अधिकारी की स्वीकृति भी अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाय। व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है; व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बंध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

3. उक्त धनराशि उन्हीं मदों पर व्यय की जाय, जिन मदों हेतु स्वीकृत की जा रही है। अन्य किसी मद में व्यय नहीं किया जायेगा।

4. इस संस्था द्वारा किये जाने वाले कार्यों/प्रोजेक्ट की हार्ड व साफ्ट प्रतिया जैसा लागू है, में पांच प्रतियों में संस्कृति विभाग को अभिलेखों के रूप में उपलब्ध करायें।

5. उक्त धनराशि का उपयोग कर उपयोगिता प्रमाण–पत्र सम्पूर्ण व्यय विवरण सहित निर्धारित प्रारूप पर शासन को अवश्य उपलब्ध करा दिया जाये।

6. संस्था को उक्त धनराशि इस शर्त के साथ स्वीकृत की जा रही है कि संस्था इसी कार्यक्रम के लिए उत्तराखण्ड शासन के किसी अन्य विभाग/भारत सरकार से अनुदान प्राप्त करती है तो कुल व्यय के सापेक्ष शेष बची धनराशि राजकोष में जमा करते हुए शासन को सूचित करेगी।

7. धनराशि पर स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि प्रस्तावित आयोजन पर विश्वविद्यालय की सहमति/अनापत्ति प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा, तथा यदि उक्त सेमिनार के आयोजन हेतु कोई धनराशि आवंटित की गयी हो तो उसका भी विवरण प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

8. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2007–08 के अनुदान संख्या–11 के लेखाशीर्षक–2205–कला एवं संस्कृति–00–102–कला एवं संस्कृति का सम्वर्द्धन–03–स्वायत्तशासी संस्थाओं को अनुदान–20 सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता मानक मद के आयोजनागत पक्ष से वहन किया जायेगा।

9. उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अ0शा0 पत्र संख्या–499 (पी) /XXVII (3)/2007 दिनांक–26 नवम्बर, 2007 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एस0एस0वल्दिया)
उप सचिव

पृष्ठांकन संख्या– 150 /VI-I/2007, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, सहारनपुर रोड़,, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. मण्डलायुक्त, कुमाऊं/गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
5. जिलाधिकारी पौड़ी।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन।
8. एन.आई.सी. उत्तराखण्ड राचिवालय, देहरादून।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(श्याम सिंह)
अनुसचिव

28/03/09 for